बउनवान .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं.

धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/11/2025	उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस के बिन्दुओं पर गम्भीरता से मनन किया गया। पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम ख्यावदा पटवार हलका ख्यावदा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की संवत 2074—77 के मुताबिक खाता सं0 नया 652 पुराना 124 की ख0नं0 1716रु1076 रकबा 1.76है0 व ख0नं0 1718द/987 रकबा 0.81है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.57है0 प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर निर्बाध रूप से कृषि कार्य करना प्रार्थी का विधिक अधिकार है। यदि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि पर की सीमा रेख (मेड) तोडकर अप्रार्थी अपने खेत में मिला लेने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के खातेदारी ख0नं0 1718/987 रकबा 0.81है0, पर यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जाता है तब अप्रार्थी को तो कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। प्रार्थी का अधिकार हक सुरक्षित होगा। परन्तु यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की स्थिति में यदि अप्रार्थीगण सीमारेखा (मेड) तोडकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड कर अपने खेत में मिला लेते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई करना संभव नहीं होगा। अतः प्रतिवाद कम 1 ता 8 के विरूद्ध दिनांक 02.12.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को नियमित किया जाकर प्रतिवादी कम 1 ता 8 का अस्थाई रूप से इस तरह पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी ख0नं0 718/987 रकबा 0.81है0 में वाद के निर्णय तक किसी भी प्रकार की मजाहमत एवं मदाखलत न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।